न्यायालय उपखण्ड आधेकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 18 / 2020 / दावा 136 एलआरएक्ट

1. हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम जाति जाट निवासी गनोड़ा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— प्रतिवादी

दावा बाबत उदघोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 24.12.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 344 लगायत 349, 351, 354, 355 किता 9 कुल रकबा 3.03 है0 व भूमि खसरा नम्बर 356 लगायत 359 किता 4 कुल रकबा 8.55 है0 वाके ग्राम गनोडा पटवार हल्का गनोडा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज काश्तकार रहकर उपयोग उपभोग कर रहा है। जो राजस्व रिकार्ड जामबन्दी से प्रमाणित है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदाी वादी व वादी के पिता का नाम हरदेवा पुत्र खुमाणा, हरदेवा पुत्र हुक्मा जाति जाट के नाम से दर्ज है जिसमें एक रूपता नहीं है। वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम है। जो वादी के परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र भामाशाह कार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में वादी व वादी के पिता का नाम हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम ही दर्ज है जो सही है। वादी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने पिता के नाम को संशोधित करवाने हेतु निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है सम्बन्धित समस्त दस्तावेज मुताबिक वादी के पिता के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी व वादी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम के स्थान पर हरदेवा राम पुत्र खुमाणा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

हरदेवा पुत्र हुक्मा दर्ज हुए जो गलत है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादी व वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम है। तथा हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम, हरदेवा पुत्र खुमाणा, हरदेवा पुत्र हुक्मा सभी एक ही व्यक्ति है। जा संशोधन किये जाने योग्य है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 344 लगायत 349, 351, 354, 355 किता 9 कुल रकबा 3.03 है0 व भूमि खसरा नम्बर 356 लगायत 359 किता 4 कुल रकबा 8.55 है0 वाके ग्राम गनोड़ा पटवार हल्का गनोड़ा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में वादी व वादी के पिता का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम हरदेवा पुत्र खुमाणा व हरदेवा पुत्र हुक्मा के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादी व वादी के पिता का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम हरदेवा पुत्र खुमाणा व हरदेवा पुत्र हुक्मा के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम हरदेवा राम पुत्र खुम्माराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम गनोड़ा के खसरा नम्बर 356, 357, 358, 359 किता 4 कुल रकबा 8.55 है0 में हरदेवा पुत्र खुमाणा हिस्सा 1/4 व खसरा नम्बर 344 लगायत 349, 351, 354, 355 किता 9 रकबा 3.03 है0 में हरदेवा पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/3 जाति जाट दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में हरदेवाराम पुत्र खुम्माराम राशन कार्ड पीएनबी बैंक खाता पलसाना तथा भारत सरकार द्वारा जारी आयकर कार्ड में हरदेवाराम पुत्र खुम्माराम दर्ज है। अतः प्रार्थी का सही नाम हरदेवाराम पुत्र खुम्माराम दर्ज किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादी का दावा उद्‌घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर** 344 लगायत 349, 351, 354, 355 किता 9 कुल रकबा 3.03 है0 व भूमि खसरा नम्बर 356 लगायत 359 किता 4 कुल रकबा 8.55 है0 वाके ग्राम गनोडा पटवार हल्का गनोडा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज वादी व वादी के पिता का नाम हरदेवा पुत्र खुमाणा व हरदेवा पुत्र हुक्मा के स्थान पर वादी व वादी के पिता का सही व वास्तिविक नाम हरदेवाराम पुत्र खुम्माराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकद्में इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
ब्पअपस च्तवबमकनतम ब्वकमए ।चचमदकपग श्क्ष . 1द्व

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ,सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हरदेवाराम   बनाम   राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 18 / दावा सन् 2020   निर्णय दिनांक. 24.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी **श्री हरदेवाराम** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा **भूमि खसरा** 344 लगायत 349, 351, 354, 355 किता 9 कुल रकबा 3.03 है0 व भूमि खसरा नम्बर 356 लगायत 359 किता 4 कुल रकबा 8.55 है0 वाके ग्राम गनोडा पटवार हल्का गनोडा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में खातेदार वादी व वादी के पिता का नाम हरदेवा पुत्र खुमाणा व हरदेवा पुत्र हुक्मा के नाम को दुरूस्त कर उसके स्थान पर हरदेवाराम पुत्र खुम्माराम संशोधित करने की उद्घोषणा की जाती है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।**

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.12.2020 को जारी की गई।

मोहर   दस्तखत ओहदा
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ास्तविक

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा ...	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी ...		
स्टाम्प वजह सबूत ...	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील ...	—	—	खर्चा गवाहान ...		
खर्चा गवाहान ...	—	—	फीस कमिश्नर ...		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा ...		
बाबत इजराय हुक्मनामा ...	—	—	मुतफर्रिक ...	0	00
मुतफर्रिक ...	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: **इस खर्चे** के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड (अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ